RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

Projects by Law Students

Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of Hon'ble Mr. Justice N.K. Jain.
(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson, RSHRC

Prepared by:-
Internship students of various law university and colleges.

Hon'ble Chairperson and Members Of Rajasthan State Human Rights Commission are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain, Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

Hon'ble Chief *Minister Shri Ashok Gehlot*

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION JAIPUR

Project on TWILIGHT YEARS

With kind inspiration from
Hon'ble Mr. Justice Nagendra Kumar Jain.
(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
Chairperson - R.S.H.R.C

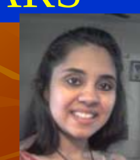

Kanak chaturvedi
B.L.S L.L.B. (Hons.) 1st year
Government law college , Mumbai
Mob- 9887531696
E-Mail Id- kannu_prattu@yahoo.com

CHARACTERISTICS

- Physical weakness
- Mental weakness
- Lack of confidence

PROBLEMS

"Growing old is like being increasingly penalized for a crime you haven't committed."

While journeying through life one has to make endless adjustments with many unexpected, perplexing, difficult situations

The twilight years ought to have been the best years of a person's life; freed from the responsibility of having to make a living, one finally has all the time to actually live - "sit in shade/reliving the good old times/letting bad memories fade."

- In the said old age, there can be an embarrassment to life from the viewpoint of success standards
- Their children are in the chief of their lives and repeatedly the children's plans do not include them.

•Senior citizen finds himself out of phase with the younger generations of children and grandchildren. Therefore a hazardous trend can get started toward hypercriticism.

Problems Of The Aged:

Problems of the aged as follows :

(i) Economic problems, include such problems as loss of employment, income deficiency and economic insecurity.

(ii) Physical and physiological problems, include health and medical problems, nutritional deficiency, and the problem of adequate housing etc.

(iii) Psycho-social problem which cover problems related with their psychological and social maladjustment as well as the problem of elder abuse etc.

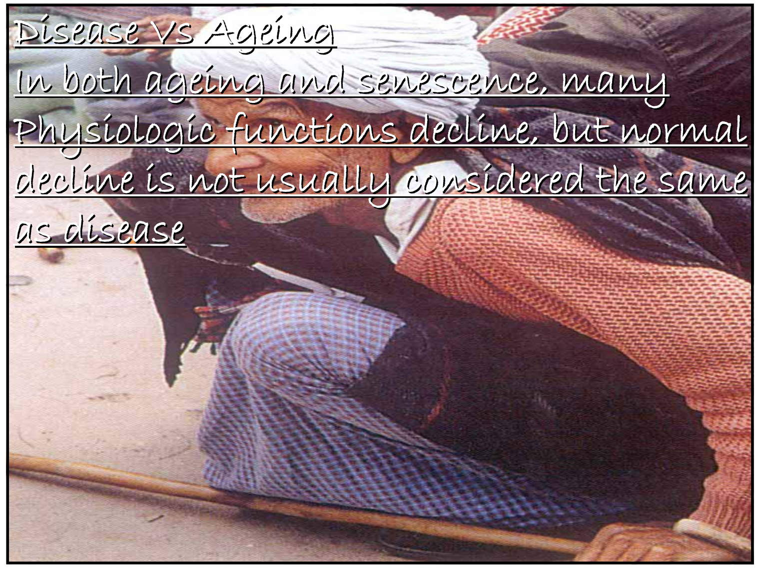

The findings of an ICMR survey conducted in elderly persons over 60 years of age, attending geriatric clinics in rural areas is shown below.

Ailment	%
Visual impairment / complaint	40.0
Locomotive disorder, joint muscles	18.7
Neurological complaints	17.4
Cardiovascular disease	16.1
Respiratory disorder	13.3
Skin conditions	9.0
Gastro intestinal / abdominal disorder	8.5
Psychiatric problem	8.2
Hearing loss	3.5
Geneto urinary disorder	88.0

For Adult Children with Senior Citizen Parents:

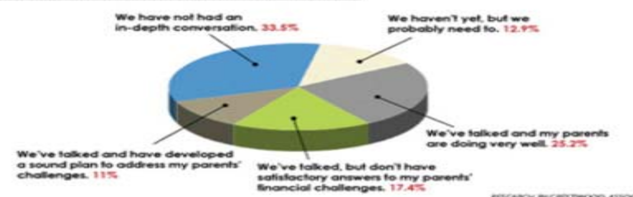

For Senior Citizens:

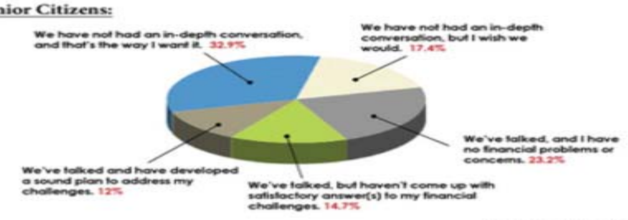

Health Problems

Having rendered service for a lifetime, the organs and senses seem to stutter, gasp, choke and wheeze before finally quitting. Minor ailments and major diseases rear their heads and waking hours are preoccupied with symptoms and pills, diets and therapies.

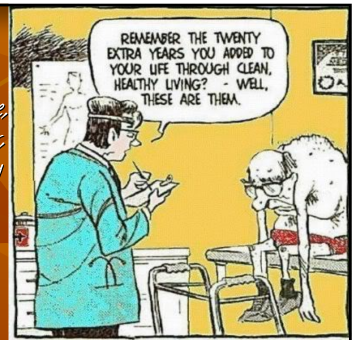

To make things worse, old age also means an old and failing body which will simply not cooperate and lets one down ever so often. Even if one does not become sans eyes, sans teeth, sans everything right away, one does begin to slow down physically

Rights Of Senior Citizen : Need Of The Hour
By despising all that has preceded us,
We teach others to despise our self
Ageing is a natural process, which inevitably occurs in human life cycle. It brings with a host of challenges in the life of the elderly, which are mostly engineered by the changes in their body, mind, thought process and the living patterns. Ageing refers to a decline n the functional capacity of the organs of the human body, which occurs mostly due to physiological transformation, it never imply that everything has been finished. The senior citizens constitute a precious reservoir of such human resource as is gifted with knowledge of various sorts, varied experiences and deep insights. May be they have formally retired, yet an overwhelming majority of them are physically fit and mentally alert. Hence, given an appropriate opportunity, they are in a position to make significant contribution to the socio-economic development of their nation.

Protection To Old

National Efforts:
(I) Constitutional Protection:
Art. 41 : Right to work, to education and to public assistance in certain cases : The State shall, within the limits of economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.

Art. 46 : Promotion of educational and economic interests of .... and other weaker sections : The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people.....and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation

THE MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007

AN

ACT

to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognized under the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto

Under Personal Laws:

The moral duty to maintain parents is recognized by all people. However, so far as law is concerned, the position and extent of such liability varies from community to community

(I) Hindus Laws:

Amongst the Hindus, the obligation of sons to maintain their aged parents, who were not able to maintain themselves out of their own earning and property, was recognized even in early texts.

II) Muslim Law:

Children have a duty to maintain their aged parents even under the Muslim law.

गुलाबी नगर

महका भारत

सुसंस्कारों से रुकेगा बुजुर्ग उत्पीड़न-सैनी

वृद्धों को भी दी नसीहत

बुजुर्गों पर उत्पीड़न : विश्व जन चेतना दिवस

वृद्धजनों एवं गरीबों के प्रति जागरूकता लाने में मीडिया की अहम भूमिका-जैन

(IV) Governmental Protections:

1. The Government of India approved the National Policy for Older Persons on January 13, 1999 in order to accelerate welfare measures and empowering the elderly in ways beneficial for them. This policy included the following major steps :

(i) Setting up of a pension fund for ensuring security for those persons who have been serving in the unorganized sector,

(ii) Construction of old age homes and day care centers for every 3-4 districts,

(iii) Establishment of resource centers and re-employment bureaus for people above 60 years,

(iv) Concessional rail/air fares for travel within and between cities, i.e.,30% discount in train and 50% in Indian Airlines.

(v) Enacting legislation for ensuring compulsory geriatric care in all the public hospitals.

2. The Ministry of Justice and Empowerment has announced regarding the setting up of a National Council for Older Person, called agewell Foundation. It will seek opinion of aged on measures to

make life easier for them.

3. Attempts to sensitise school children to live and work with the elderly. Setting up of a round the clock help line and discouraging social ostracism of the older persons are being taken up.

4. The government policy encourages a prompt settlement of pension, provident fund (PF), gratuity, etc. in order to save the superannuated persons from any hardships. It also encourages to make the taxation policies elder sensitive.

5. The policy also accords high priority to their health care needs.

6. According to Sec.88-B, 88-D and 88-DDB of Income Tax Act there are discount in tax for the elderly persons.

मानवाधिकारों के प्रति जागरुक रहो

ध्यानाकर्षण

वेद व्यास

राज्य मानवाधिकार आयोग की पहल का ही आज यह परिणाम है कि आयोग ने सैकड़ों सामाजिक-शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मानवाधिकारों की प्रदेश में अलख जगा रखी है और यह साबित कर दिया है कि कठिन और जटिल राज्य व्यवस्था के भरोसे न रहकर जनता का मानवाधिकारों के प्रति सशक्तिकरण किया जाए।

रौनक टाइम्स, दैनिक

E-Mail : nirmalrounaktimes@gmail.c

मानवाधिकारों के संरक्षण में राज्य मानवाधिकार आयोग ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए सतत प्रयासरत है। आयोग ने राज्य की आमजनता के साथ-साथ लोकसेवकों को समर्पित भाव से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया है और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. जैन ने बताया कि यह आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि लोकसेवकों से केवल अपना कार्य निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करने की अपेक्षा करता है। उन्होंने बताया कि आयोग शिकायतों की सुनवाई की प्रक्रिया में संबंधित विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर शिकायतों का निस्तारण

वरिष्ठ नागरिकों को नहीं हो समस्या

मेट्रो संवाददाता

जयपुर, 14 अक्टूबर। वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। हैल्पेज इंडिया संस्था की ओर से एमआई रोड स्थित एक होटल में आयोजित सेमिनार में प्रमुख शासन सचिव मालविका पंवार ने ये बात कही।

सेमिनार में एनजीओ के साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में अपनी समस्याओं के बारे में बताया। तकनीकी सत्र में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर सरकार की दोहरी नीतियों पर चिंता व्यक्त की गई। हैल्पेज इंडिया के एन.एस.बाछी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के बारे में केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य सरकार भी सम्मान रूप से लागू करेगी तो उन्हें अधिक सहायता मिलती रहेगी।

हैल्पेज इंडिया संस्था की ओर से आयोजित सेमिनार में उपस्थित अतिथि।

पेंशनरों को मानवाधिकार आयोग का सहारा

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 10 अगस्त। राज्य मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा सुविधाओं के मामले में पेंशनों एवं राजकीय कर्मचारियों में भेदभाव नहीं करने को कहा है। साथ ही उन्हें वरिष्ठ नागरिकों (पेंशनर) को बिना परेशानी दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

अब आसानी से मिल सकेंगी दवाइयां

पेंशनरों की शिकायत थी कि सहकारी दुकानों से दवाइयां उपलब्ध नहीं होने पर अनुपलब्धता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही। इससे पेंशनरों को उनके लिए अधिकृत दुकान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। आयोग ने पेंशनरों को इससे निजात दिलाते हुए कहा कि इन दुकानों पर दवाइयां नहीं है तो वे अन्य दुकानों से दवाइयां खरीद सकते हैं, जिनका नियमानुसार पुनर्भुगतान ले सकते हैं। सरकार से अपेक्षा की कि पेंशन एवं बीमार वरिष्ठ नागरिकों को बिना परेशानी दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दवाइयों सहित पर्याप्त दुकानों की व्यवस्था की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि नियमों की अवहेलना हुई तो पेंशनर उपयुक्त मंच या प्राधिकरण को शिकायत पहुंचा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन.के. जैन एवं सदस्य डी.एस. मीणा की पीठ ने पेंशनरों से सम्बन्धित पांच मामलों को निस्तारित करते हुए यह सिफारिश की। ये मामले वर्ष 2001 से 2003 की अवधि में आयोग में दर्ज हुए। आयोग ने इन मामलों में कहा कि राज्य सरकार को आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर नियमों में संशोधन करने का अधिकार है और वह इसमें सक्षम है, इसलिए आयोग न तो इसकी मेरिट में जा सकता और न ही कोई दिशानिर्देश दे सकता। आयोग ने कहा कि संशोधन तक पेंशनरों को अधिकृत सहकारी दुकानों से दवाइयां लेने का अधिकार है।

7. Life Insurance Corporation of India (LIC) has also been providing several scheme for the benefit of aged persons, i.e.Jeevan Dhara Yojana, Jeevan Akshay Yojana, Senior Citizen Unit Yojana, Medical Insurance Yojana.

8. Former Prime Minister A.B.Bajpai was also launch 'Annapurana Yojana' for the benefit of aged persons. Under this yojana unattended aged persons are being given 10 kg food for every month.

9. It is proposed to allot 10 percent of the houses constructed under government schemes for the urban and rural lower income segments to the older persons on easy loan

SCHEMES

- Integrated Programme for Older Persons
- Scheme of Assistance to Panchayati Raj Institutions
- Central Government Health Scheme
- National mental health programme

राजस्थान पत्रिका
जयपुर, सोमवार, 15 जून 2009

मेट्रो पत्रिका 9

बच्चों के बाद बुजुर्ग भी ओझल

दस माह में भी नहीं बने नियम

बुजुर्गों पर उत्पीड़न : विश्व जन चेतना दिवस आज

कार्यालय संवाददाता

जयपुर, 14 जून। राज्य में बच्चों और महिलाओं से जुड़े कानूनों का जो हश्र हुआ, ठीक उसी तरह बुजुर्गों के लिए बना कानून भी सरकारी नजरों से ओझल है।

मामला चाहे बाल विवाह रोकने का हो या बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग गठन का या फिर महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण का, तीनों ही केन्द्रीय कानूनों के तहत नियम बनाने व उनको लागू करने में राज्य ने सुस्ती दिखाई। ठीक ऐसा ही माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम के साथ हो रहा है, यह विधेयक आने पर ज्ञानप्रकाश पिलानिया बुजुर्गों को उत्पीड़न से बचाने के लिए ऐसे कानून की बड़ी आवश्यकता बताते हुए राज्यसभा में रो पड़े थे। राज्य में यह कानून पिछले साल अगस्त में लागू हो गया, लेकिन इसके लिए नियम अब तक नहीं बने है।

एक भी मामला नहीं आया

पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से इस कानून की पालना की स्थिति की जानकारी ली, तो पोल खुली कि अब तक प्रदेश में इस कानून के तहत एक भी मामला नहीं आया है।

समय पर लागू नहीं हुए कानून

- नया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम समय पर लागू नहीं होने से कार्रवाई प्रभावित रही
- बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन को राज्य में तीन साल बाद मंजूरी मिली
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए अधिकारी उच्च न्यायालय के दखल के बाद नियुक्त हुए

"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत नियम बन रहे हैं, लेकिन नियमों के अभाव में पालना में कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के जरिए कानून का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन मां-बाप में बेटे के खिलाफ कार्रवाई की प्रवृति नहीं होने के कारण मामले नहीं आ रहे है।"

– आर. वैंकटेश्वरण, आयुक्त एवं सचिव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

75 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या की गुहार

आयोग व विधिक सेवा उप-समिति ने दिए जांच के आदेश

नगर संवाददाता, जयपुर

झोटवाड़ा की श्यामपुरी निवासी 75 साल के बुजुर्ग बद्रीप्रसाद शर्मा ने अपनी बेटी व दामाद के जुल्मों से तंग आकर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल व राज्य मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर उनसे आत्महत्या करने की इजाजत देने की गुहार की है। पत्र में शर्मा ने लिखा है कि आत्महत्या करना कानूनी रूप से गलत है, इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए इजाजत मांग रहे हैं।

बद्रीप्रसाद शर्मा।

बद्रीप्रसाद के पत्र पर राजस्थान हाईकोर्ट की विधिक सेवा उप-समिति ने जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि वह इस मामले में बिना कोई देरी किए ही जांच के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त करें और आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई के बाद जांच रिपोर्ट पेश करें। पत्र में बद्रीप्रसाद ने अपनी बेटी-दामाद व नाती द्वारा उसके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने पत्र पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) सी.बी.शर्मा को निर्देश दिए है कि वह मामले की जांच कर 20 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट पेश करें। आयोग में मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को रखी है। दूसरी तरफ बद्रीप्रसाद ने संवाददाता को बताया कि 2008 में उसकी बेटी प्रेमलता ने एसडीएम सांगानेर के यहां पर श्रीरामपुरा पंचायत लाखना स्थित जमीन पर कब्जे के लिए पांच वाद दायर किए और जमीन में हिस्सा मांगा। हिस्सा नहीं देने पर दामाद ने थाना कोतवाली में मेरे दोनों बेटों के खिलाफ फोन पर धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जबकि वे उस दिन जयपुर में थे ही नहीं। इतना ही नहीं मेरी बेटी ने अपने बड़े बेटे राकेश को मेरा दत्तक पुत्र बना दिया, जबकि मैंने कभी भी उसे अपना दत्तक पुत्र नहीं घोषित किया था। बाद में पुत्री-दामाद ने मेरी पत्नी राधा को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आमेर स्थित मेरी पत्नी की 10.5 बीघा जमीन को भी मेरी बेटी ने फर्जी तरीके से आमेर के तहसीलदार के साथ मिलकर उसका नामांतरण अपने नाम खुलवा लिया। पत्नी का 5 नवंबर 08 को निधन हो गया।

संस्कारों की कमी के कारण बुजुर्ग परेशान : जैन

जयपुर (का.सं.)। आज हमारे घरों में सौहार्दपूर्ण वातावरण की कमी होती जा रही है। परिवारों में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। यही कारण है कि समाज में बड़े बुजुर्गों को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है वे प्रताड़ित हो रहे हैं।

हमें अपने परिवारों में मानवीय मूल्यों की पुर्नस्थापना करनी होगी, सदस्यों में संवेदनशीलता लानी होगी तब कहीं हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान बनाए रख पाएंगें। यह विचार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के.जैन ने व्यक्त किए। जस्टिस जैन मंगलवार को विधाआश्रम स्कूल स्थित महाराणा प्रताप सभागार में हेल्पेज इण्डिया की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के रूप में विचार व्यक्त कर रहे थे।

कहीं ऐसा न हो कि वे अपने स्वार्थो की पूर्ती में इतना डूब जाएं कि नई पीढ़ी के साथ उनका संतुलन ही बिगड़ जाए। उन्होंने कहा कि आज हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों को मूल जाते हैं जो उचित नहीं हैं। कार्यक्रम के विशिष्ठ अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजीतसिंह शेखावत ने कहा कि बुजुर्ग अपनी समस्याओं के लिए अब भी संघर्ष करे तो हमारे युवाओं के लिए शर्म की बात होगी। बुजुर्ग अपने जीवन में पहले ही काफी संघर्ष कर चुके हैं। अब उन्हें आराम की जरूरत है। इसके चलते इस दिशा में ज्यादा अच्छा कार्य नहीं हो पा रहा हैं।

शेखावत ने हेल्पेज इण्डिया की ओर से शुरू की गई हेल्पलाइन का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्जवन के साथ हुआ तथा वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। संस्थान के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कौशल किशोर जैन ने बताया कि भारत की संसद ने दिसम्बर 2007 में ही वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए कानून बना दिया था लेकिन राज्यों में उसे देरी से लागू किया हैं। प्रेरणा संस्थान के त्रिलोकी दास खण्डेलवाल ने कहा कि वृद्धों ने समाज को बहुत कुछ दिया है और आज भी देने की क्षमता रखते हैं। उस समय 75 रुपए से प्रारम्भ यह पेंशन आज 500 रुपए तक पहुंच चुकी हैं लेकिन फिर भी समय को देखते हुए यह बहुत कम हैं। हैल्पेज इण्डिया के प्रदेश प्रमुख मंजीत कुमार सिंह ने बुजुर्गों पर हो रही प्रताड़ना के ऊपर एक प्रस्तुतीकरण दिया। दिशा संस्थान की कार्यकारी निदेशक रेणूसिंह ने कहा कि स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में सरकार से बेहतर कार्य कर सकते हैं।

दैनिक नवज्योति 5
जयपुर, बुधवार, 16 जून, 2010

एल्डर एब्यूज इन इंडिया रिपोर्ट जारी

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 15 जून। हेल्पेज इंडिया और राजस्थान राज्य ह्यूमन राईट्स कमीशन की ओर से मंगलवार शाम महाराणा प्रताप सभागार में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन न्यायाधी एन.के. जैन एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस महानिरीक्षक बी.एल.सोनी थे। अतिथियों ने इस अवसर पर प्रदेश में हेल्पेज इंडिया एल्डर हेल्पलाइन सर्विस का शुभारंभ किया। इसके अलावा जयपुर में फिजियोथेरेपी सेन्टर के स्थापना भी की गई। समारोह में एल्डर एब्यूज पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। मुख्य अतिथि जैन ने बुजुर्गों के हित में बने कानून की सख्ती से पालना पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि सोनी ने बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार और उनकी हर तरह से सेवा करने के लिए प्रेरित किया। समारोह में हेल्पेज इंडिया की उप निदेशक शोध व विकास अनुपमा दत्ता ने बुजुर्गों की सेवा के संबंध में एक वीडियो प्रजेन्टेशन दिया। सोश्यल सिक्युरिटी फाउण्डेशन के महासचिव त्रिलोकीदास खंडेलवाल, भारतीय विद्या भवन के चेयरमैन विमलचंद सुराणा ने भी संबोधन किया। पीपुल्स ट्रस्ट जयपुर की प्रबंध ट्रस्टी प्रेरणा सिंह ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया।

राजस्थान पत्रिका 6
जयपुर . बुधवार . 16 जून 2010

नहीं थम रहे बुजुर्गों पर अत्याचार

जयपुर. तमाम कानून होने के बावजूद देश में बुजुर्गों पर अत्याचार की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। एक संस्था की ओर से देश के आठ महानगरों में कराए गए सैम्पल सर्वे में भोपाल ऐसी जगह है जहां बुजुर्गों पर अत्याचार की सर्वाधिक घटनाएं सामने आई है, वहीं दिल्ली में यह सबसे कम है। हैल्पेज इंडिया की ओर से विश्व बुजुर्ग अत्याचार जागरूकता दिवस के मौके पर मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में जारी रिपोर्ट में बुजुर्गों की वर्तमान स्थिति को बताया गया है।

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि पेंशनर संस्थाओं, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को ठोस पहल करनी होगी। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अजीत सिंह शेखावत ने

दीप प्रज्वलन करते हुए।

हैल्पेज इंडिया की बुजुर्गों के लिए जारी हैल्पलाइन का उद्घाटन किया।

ROLE OF SOCIETY

It may be conclude by saying that the problem of the elderly must be addressed to urgently and with utmost care. There is urgent need to amend the Constitution for the special provision to protection of aged person and bring it in the periphery of fundamental right. With the degeneration of joint family system, dislocation of familiar bonds and loss of respect for the aged person, the family in modern times should not be thought to be a secure place for them. Thus, it should be the Constitutional duty of the State to make an Act for the welfare and extra protection of the senior citizen including palliative care

This participation of senior citizen must result in an end to their social isolation ad an increase in their general satisfaction with their life. Any attempt to secure the help of the elderly in offering their service to the nation must simultaneously ensure some sort of package of services aimed at arranging for them a better quality of life and a well-designed social security network for the senior citizen. The society and the state in India need to accept the challenge of their effectively focusing their attention on the following twin issues of :
(i) How to provide a fair-deal to the senior citizens so that they are able to peacefully, constructively and satisfactorily pass their lives; and
(ii) How to utilize the vast treasure of knowledge and rich life experience of the older people so that they are able to utilize their remaining energies and contribute to the all round development of their nation.

CONCLUSION

Old age is inevitable phase of a person's life. We all have to go through it. Government has taken various measures. Pension is being provided to government employees which is enough for them.

" But what about the non – governmental employees???? "

It is duty of society to take care of aged who don't have enough resources so that they can lead an honourable life during twilight years.

Following table shows the data regarding government pensioners

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Social Justice and Empowerment

No. : F 9(5)(12) OAP0/SJ&ED/10-11/ 1076 Jaipur, Date : 30/04/10

Order

Sub:- Amendment in rules governing grant and payment of Old Age and Widow Pension to destitute.

The Governor is pleased to order that the following amendments shall be made in the Rajasthan Old Age and Widow Pension Rules, 1974 namely :-

In the said Rules, Rule 4(i) is replaced by the following

"4. - Amount of pension -

(i) The amount of pension payable to each destitute shall be as under:-

	Rate of Pension	Rs./P.M.
(a)	Pensioner of 75 years of age and above	750 /-
(b)	Pensioner below 75 years of age	500/
(c)	Joint Pension (Husband & Wife)	
	(I) Both 75 years of age and above	1500/-
	(II) Both of them below 75 years of age	1000/-
	(III) Any one below 75 years of age	1250/-"

This order shall come into force w.e.f. 01.04.2010

This bears the concurrence of Finance (Exp.-2) Department vide their I.D.No. [illegible] dated 28.04.2010.

By order,
(P.S.Mehra) 30/04/10
Commissioner & Secretary to GoR.

BOOKS PUBLISHED

- These books are kept in the Libraries of different schools and colleges for awareness of students as well as the teaching and ministerial staff. Some books are even kept in the UN-Congress Library at New Delhi.
- Teachers of various school are interacting with the students on these issues in zero hours.
- About legal aid committees, NGO's / Educational Institutions above 55, and some Newspapers have re-printed/Published these booklets as intimated and about 80,000 booklets titled on women, child rights, dalits, arrest, human rights and HIV have been published and distributed free of cost among the general public to create awareness.

Legal Awareness Programmes

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 80000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- These books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain (Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues

BOOKS PUBLISHED

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय) ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न हैः—

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद–21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार– संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित–2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

जस्टिस एन.के. जैन की उत्कर्ष उपलब्धियां

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आर्टिकल–51ए में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता

(कलैण्डर्स, पेम्पलेट्स, पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशन के माध्यम से)

प्रायः यह देखा गया है कि आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की ही बात कर रहा है। परन्तु हम अपने कर्तव्यों के प्रति कम सजग है। इसलिए लोगों में मानवीय अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0जैन ने ***भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51–ए*** में वर्णित मुख्य कर्तव्यों की मंशा के अनुरूप का एक प्रारूप तैयार करवा कर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं/ विभागों/संस्थाओं को भेजकर एक नई मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत् करीब 100 स्कूल/संस्थाओं में सुबह की प्रार्थना के समय यह संकल्प को दोहराया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं में भी संकल्प की यह प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय का मानना है कि इस संकल्प से व्यक्तियों में अच्छे संस्कारों के साथ–साथ मानवीय मूल्य एवं नैतिकता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में अपने अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों की पालना में भी काफी हद तक जागरूकता पैदा होगी।

1. श्री कालीचरण सर्राफ, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री,
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग,
3. श्री पी.डी. सिंह, डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,
4. मैडम उर्मिल वर्मा, प्रिंसिपल, महावीर पब्लिक स्कूल
5. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सम्बद्ध (Affiliated) कॉलेज
6. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
7. अति0 निदेशक (शैक्षिक) प्रारम्भिक शिक्षा, राज0 बीकानेर
8. मैडम प्रिया मिश्रा शेखावत, डायरेक्टर, सैन्ट्रल एकेडमी
9. श्री गोस्वामी जी व श्रीचन्द्र साहू–भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड़ जेल)
10. मैडम प्रेरणा अरोड़ा, 'पहल' पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर (सड़क सुरक्षा हेतु एन.जी.ओ.)
11. परम भागवत शिक्षा एवं सामाजिक विकास संस्थान, *(NIFESM)* जयपुर।
12. प्रयास, सेन्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग
13. श्री दिगम्बर जैन नसियां उदयलाल जी ट्रस्ट, जयपुर
14. वर्ल्ड विज़न इण्डिया, जयपुर
15. हैडकॉन
16. जैन अनुशीलन केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय
17. नवमंगल शिक्षा समिति, जयपुर
18. जयपुर चाईल्ड लाईन– डायल 1098
19. भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान (एन.जी.ओ. तिहाड़ जेल)
20. विद्या ट्रस्ट, जयपुर
21. जे.पी.जे. फायनेंशियल सर्विसेज, राजापार्क, जयपुर
22. पहल, पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर
23. डायरेक्टर, टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जयपुर
24. प्रिंसिपल डी.ए.वी. सेन्टेनरी स्कूल, वैशाली नगर, जयपुर
25. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई स्कूल एलुमिनी एसोसियेशन, जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

26. जयपुर बाल श्रमिक परियोजना संस्था, जयपुर
27. प्रिंसिपल सैन्ट्रल एकेडमी, महावीर नगर, जयपुर
28. राजस्थान चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर
29. जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द
30. भारतीय यूनेस्को क्लब महासंघ, राजस्थान, भीलवाड़ा
31. प्रेसिडेंट, लायन्स क्लब, जयपुर (District 323 E -1Club No. 026309)
32. भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जयपुर
33. मोदी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साईंस, लक्ष्मणगढ़
34. प्रिंसिपल अग्रवाल बी.एड. कॉलेज, जयपुर
35. निदेशक, बियानी गर्ल्स कॉलेज, विद्याधर नगर, जयपुर
36. प्रिंसिपल, एस.वी.एम. पब्लिक स्कूल, अम्बाबाड़ी, जयपुर
37. प्रिंसिपल, सुबोध पब्लिक स्कूल, जयपुर
38. जैसवाल कुटीर उद्योग, डी-2, रमन मार्ग, जयपुर-4
39. सुरभि एक्सपोर्ट, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, गुरुनानकपुरा, जयपुर
40. राजस्थान पेंशनर समाज/जिला पेंशनर्स समाज, जयपुर
41. K.M.G. College of B.Ed.
42. K.M.G. Teachers Training Institute
43. K.M.G. College of Arts and Science
44. Thiruvallur Elementary and Higher Secondary School, Vellore
45. *लोकशिक्षक* पत्रिका में प्रकाशन
46. जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रकाशित *'मृत्युंजय'* में प्रकाशन
47. राजस्थान पैंशनर्स समाज द्वारा पैंशनर्स पत्रिका में प्रकाशन
48. प्रेसिडेन्ट लायन्स क्लब *(District 323 E–1 Club No. 026309)* व जैना प्रिंटर्स, जयपुर
49. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर
50. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी मुम्बई, राजस्थान अंचल
51. विद्यास्थली ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स, जयपुर
52. रेडिमेड सेन्टर, जौहरी बाजार, जयपुर
53. Cosmic Yoga Combine, Kanti Nagar, Station Road, Jaipur
54. Jaipur Diabities &Research Centre, Near Ridhi-Sidhi, Gopalpura Bypass, Jaipur
55. विनायक फार्मा, डी–74 धीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर
56. श्रीमती ललिता देवी, रामचन्द्र कासलीवाल ट्रस्ट, जयपुर
57. जयपुर जिला बैडमिन्टन एसोसियेशन, जयपुर
58. राजस्थान पॉलिटेकनिक कॉलेज, रतनगढ़ (चुरू) व सम्बल सेवा संस्थान, जयपुर।
59. Dr. B.Lal Clinical Laborty, Jaipur.
60. वैशाली हितकारी संगठन नागरिक हितों का सजग प्रहरी, जयपुर
61. राजधानी होटल, जयपुर।
62. हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग, श्री देश दीपक

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आयोग की इस मुहिम को पूर्व वर्षों में उक्त 62 संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता एवं संरक्षण कार्यक्रम में अपने आपको जोड़ते हुए मुहिम को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में वर्ष 2009–2010 में भी बहुत सी संस्थाओं द्वारा आयोग के जन जान–जागरूकता के कार्यक्रम को बढ़ाते हुये सूचित किया गया है। जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

63. जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
64. महेश्वरी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जयपुर
65. कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
66. Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
67. राजधानी हास्पीटल, जयपुर
68. श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
69. धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
70. विमुक्ति संस्थान, जयपुर
71. भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, मुम्बई
72. श्री देश दीपक, सचिव लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
73. जयपुर नगर निगम
74. अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा
75. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, सी.पी. टैंक, मुम्बई ।
76. राजस्थान जैन सभा, जौहरी बाजार, जयपुर ।
77. हैल्प एज {इण्डिया} जवाहर नगर, जयपुर {हिन्दी/अंग्रेजी}
78. सम्बल सेवा संस्थान, रतनगढ़ चुरु ।
79. स्व0 श्री गणेशमल बैद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रतनगढ़।
80. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन {धर्म संरक्षिणी} महासभा, नई दिल्ली ।
81. कमिश्नर मुख्यालय, नगर निगम, जयपुर ।
82. यातायात पुलिस, जयपुर
83. विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डेवलपमेन्ट *WORLD* जयपुर
84. श्री महावीर दिगम्बर जैन हाई सैकण्डरी स्कूल एलुमनी एसोसियेशन, जयपुर (हिन्दी/ अंग्रेजी)
85. M.D. Group of Education, Sikandara, Agra (English/Hindi)
86. गीता बजाज महाविद्यालय, जयपुर
87. भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी, राजस्थान अंचल, जयपुर
88. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
89. The Little Pixies School, Vidyut Nagar, Jaipur
90. दलित अधिकार केन्द्र, राजस्थान, जयपुर
91. लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान
92. देश और व्यापार बीकानेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका
93. निदेशक, राजस्थान पुलिस एकेडमी, नेहरू नगर, जयपुर
94. दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, करौली
95. Children's Educational Society, Bhilwara
96. माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, बझेरा (भरतपुर)
97. विद्या ट्रस्ट, 19, कीर्ति नगर, श्याम नगर, जयपुर (पुनःप्रकाशित)
98. राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर (पुनःप्रकाशित)

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by : Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

- **In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-**

मानवाधिकार और कर्तव्य

■ न्यायमूर्ति नगेन्द्र कुमार जैन

देखा गया है कि आज मनुष्य स्वयं अपने तक ही सीमित होकर रह गया है। यह प्रवृति ठीक नहीं है। हमें स्वयं के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र की सेवा के लिए भी तत्पर रहना होगा क्योंकि राष्ट्र का निर्माण समाज से, समाज का निर्माण परिवारों से तथा परिवारों का निर्माण व्यक्ति से होता है। नारी ही प्रत्येक परिवार की धुरी होती है। इसी क्रम में प्रत्येक माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। स्त्री की सामाजिक प्रबंधन क्षमता तुलनात्मक रूप से पुरुष से अधिक होती है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी तरक्की की है। आज भी महिलाओं के प्रति उपेक्षा एवं उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि वह महापुरुषों की जननी है। इसलिए हमें चाहिए कि इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के दायित्व को निभाएं तथा इनके सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध करें और अधिक से अधिक लोगों को ऐसी प्रथाओं के परित्याग के लिए प्रेरित करें।

बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर, जयपुर में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर छात्राओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए का संकल्प दिलाते कॉलेज के वाइज प्रिंसीपल पी.सी. जांगिड।

Students of some institutions reciting the Oath as per Article 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

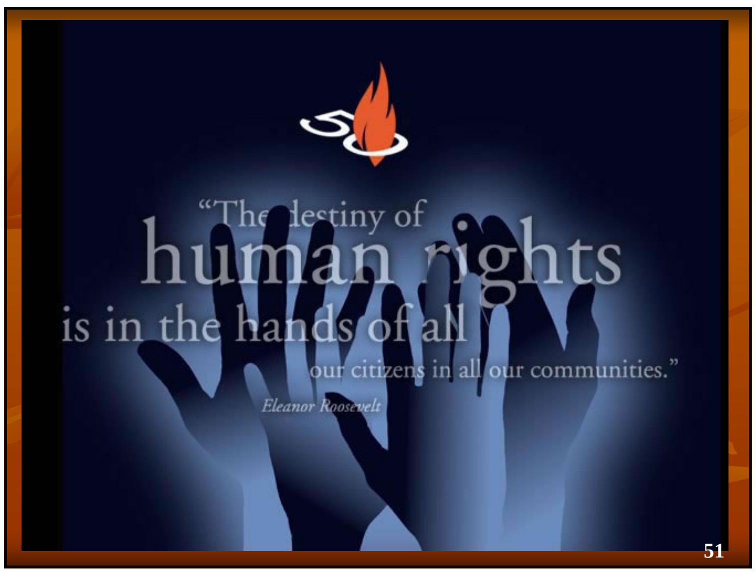

ACKNOWLEDGEMENT

I Kanak chaturvedi would like to ackowledge Mr. N.K. Jain , Chairman Human rights commission , Rajasthan under whose able guidance I have been able to accomplish my project on the topic " MANAGING STRESS AMONG CHILDREN" . I would like to thank him for his sparing his valuable time.

All Projects

BIBLIOGRAPHY…

http://justicenagendrakjain.com
www.autherstream.com

www.nhrc.nic.in
www.rshrc.nic.in

- I have prepared the respective project during my internship under Rajasthan State Human Rights commission, Jaipur.
- Project has been prepared as per the the material from different booklet of the commission and the martial obtain from different other sources.
- The same can be exhibited in School/Colleges/University and other places under legal literacy and awareness programme to the general public to know about human rights, as per direction of the chairperson of the commission.

KANAK CHATURVEDI